न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर ।

अपील संख्या-76/2004

मालसिंह----मृतक-----

1/1- बजरंगसिंह तंवर
1/2- पोखरसिंह तंवर
1/3- मानसिंह तंवर
1/4- मदनसिंह तंवर
1/5- महेन्द्रसिंह तंवर
1/6- सुरेन्द्रसिंह तंवर

पुत्रगण मालसिंह जाति राजपूत निवासीगण मांवण्डा कला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

---अपीलान्टस्----

---बनाम---

महादा------ मृतक----

1/1- रामजीलाल
1/2- फूलचन्द
1/3- पोखर

पुत्रगण महादाराम जाति बलाई निवासी मावण्डा कंला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर ।

---रेस्पोडेन्टस्---

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31-3-2004 द्वारा उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना ।

---0---

उपस्थिति-

1- श्री बजरंगसिंह शेखावत एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री लक्ष्मणासिंह सूण्डा एडवोकेट-रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

निर्णय दिनांक- 5.3.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलान्ट ने योग्य अदालत मातहत में दावा इस्तकरार हक स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 446 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा ग्राम मावण्डा कँला का खातेदार प्रतिवादी सं0-1 बक्साराम है जिसने उक्त आराजी को कभी भी काश्त नहीं किया । न ही इसका कभी कब्जा रहा ।राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आया उससे पूर्व से इस आराजी पर वादी बेरोक टोक काबिज काश्तकार चला आ रहा है।वादी से पूर्व इस आराजी को वादी का पिता काश्त करता आ रहा था इस प्रकार इस आराजी पर वादी 40 साल से भी अधिक समय से काबिज काश्तकार दर्ज चला आ रहा है ।प्रतिवादी सं0-3 ने इस आराजी को हडपने की नियत से एक फर्जी आदमी बक्साराम के स्थान पर खड़ा कर फर्जी अंगूठा निशानी बक्सा राम की लगाकर एक विक्रय पत्र अपने नाम उप पंजीयक कार्यालय नीमकाथाना के यहां तस्दीक करवा लिया । जिसकी जानकारी वादी को दिनांक 19-11-80 को हुई। तब वादी दिल्ली से दिनांक 20-11-80 को आया तथा बक्साराम से मिला तो बक्साराम व वादी ने एक वाद सं0-245/1981 दिनांक 16-11-81 को मुंसिफ मजिस्ट्रेट नीमकाथाना के यहां मंसुखी विक्रय पत्र व हुक्म इम्तनाई दवामी बाबत पेश किया जो जेरकार है ।तथा बक्साराम ने उक्त दावा के अलावा एक इस्तगासा अदालत ए0सी0जे0एम0 नीमकाथाना के यहां दिनांक 21-11-1980 को धारा-420, 468, 471, 120 बी0 का पेश किया । जो अनुसंधान के लिये पुलिस थाना नीमकाथाना में भेजा था। जिसमें प्रतिवादी सं0-2 व 3 का चालान हो चुका।प्रतिवादी सं0-1 ने मुंसिफ मजिस्ट्रेट के यहां विचाराधीन दावे में इस भूमि पर कब्जा काश्त वादी का ही स्वीकार किया है। इसके बाद प्रतिवादी सं0-1 के मन भी बेईमानी आ गई। जिसने प्रतिवादी सं0-2 के नाम विक्रय पत्र तस्दीक करवा दिया ।प्रतिवादी सं0-2 ने प्रतिवादी सं0-3 के पक्ष में दिनांक 18-6-87 को विक्रय पत्र तस्दीक करवा दिया । वादी जब 15 रोज पूर्व दिल्ली से आया तब तमाम कार्यवाही की जानकारी हुई ।तथा आराजी की काश्त करने गया तो प्रतिवादीगण ने झगडा करने लग गये । तथा वादीगण आपस में विक्रय पत्र करा लेने से वादी के हकों पर सन्देह पैदा हो गया जिस पर यह दावा पेश किया ।

जिसे अदालत मातहत ने वाद सुनवाई दावा खारिज कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । विवादित आराजी का अपीलान्ट काबिज खातेदार काश्तकार है ।अपीलान्ट इस आराजी का गत 65 वर्षों से अधिक समय से निर्बाध रूप से काबिज काश्तकार चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट महादाराम का इस आराजी से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है ।अपीलान्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आया उससे पूर्व इस आराजी पर काबिज काश्तकार चला आ रहा है।बक्साराम व रामसिंह दोनो मृत हो चुके तथा इनके कोई वारिस नहीं है। तथा अपीलान्ट इनके विरूद्ध कोई सहायता नहीं चाहता है ।इस कारण इन्हे अपील में पक्षकार नह नहीं बनाया गया । वादग्रस्त भूमि को हडपने के लिये बक्सा पुत्र गोहवन्दा व रामसिंह पुत्र हरीसिंह ने फर्जी कार्यवाही जरिये नामा0सं0-576 ग्राम मावण्डा कंला द्वारा की गई थी । ग्राम पंचायत मावण्डा कंला ने अपने निर्णय दिनांक 11-7-87 प्रस्ताव सं0-11 के अनुसार नामान्तरकण कर दिया तथा नामान्तर करण के निर्णय के बाद जांच स्पष्ट रूप सेकर दी की विवादित आराजी खसरा नं0 446 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा पर सदैव से कब्जा काश्त अपीलान्ट मालसिंह का ही रहा है तथा आज भी कब्जा मालसिंह का ही है । विवादित आराजी का दौराने दावा विक्रय किया गया जो कानूनन गलत है। उससे कोई टाईटल भी नहीं मिलता है । अदालत मातहत ने तनकी संख्या-1 से 5 का निर्णय करते समय किसी भी दस्तावेज का उल्लेख नहीं किया। अपनी मनमर्जी के अनुसार निष्कर्ष निकालकर आदेश पारित किया है । अपीलान्ट को निर्णय की नकल विलम्ब से मिलने पर यह अपील नकल प्राप्ति से अन्दर मियाद पेश की है ।अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जाकर वादी का दावा डिक्री किया जावें ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रदर्श-1 जमाबन्दी सं0 2041 से 2044 में ख0नं0 446 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा की खातेदारी बक्सा पुत्र गोविन्दा जाति माली के नाम दर्ज है । प्रदर्श-खसरा गिरदावरी सं0-2041 में भी खातेदारी बक्साराम के नाम दर्ज । प्रदर्श-3 नकल वकालतनामा, प्रदर्श-4 न्यायालय एम0जे0एम नीमकाथाना में बक्साराम, माल सिंह द्वारा पेश वाद पत्र मुन्तखी विक्रय पत्र व हुक्म इम्तनाई दवामी विक्रय पत्र दिनांक 19-11-80 जो बक्साराम की जगह किसी दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर किया गया । विक्रय पत्र दिनांक 3-6-87 जिसमें बक्साराम ने रामसिंह को उक्त आराजी का विक्रय किया है ।प्रदर्श-6 विक्रय पत्र दिनांक 18-6-87 जो रामसिंह द्वारा महादाराम को किया गया है । प्रदर्श-7 नामान्तरकरण सं0-276 जो विक्रय पत्र के आधार पर बक्साराम से रामसिंह पुत्र हरिसिंह के नाम स्वीकार किया गया । जिसकी पुश्त पर नोट दर्ज है ।विवादित आराजी पर न तो विक्रेता का कब्जा है और न ही क्रेता का कब्जा है।विवादित आराजी पर मालसिंह का कब्जा है । इस कारण ण नामान्तरकरण अस्वीकार किया गया ।प्रदर्श-3 नकल जमाबन्दी सं0-2053 से 2056 में ख0नं0 446 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा की खातेदारी रामेश्वर, भगवाना, भंवरा पि0 बक्सा, फूली बेवा बक्सा के नाम दर्ज है । जिस पर नामान्तरकरण सं0715 दिनांक 19-11-97 से विक्रय पत्र एवं मुताबिक न्यायाधीश(क0ख0) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नीमकाथाना के खातेदारों के बजाय महादेव पुत्र लादू जाति हरिजन के नाम दर्ज की गई है । प्रदर्श-डी-4 नकल निर्णय दिनांक 12-7-2001 के द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज किया गया है ।प्रदर्श-डी-1 डिक्री सिविल न्यायाधीश(क0ख0) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नीमकाथाना में बक्साराम व मालसिंह का दावा विवाद संख्या 245/1981 दिनांक 10-4-1997 को खारिज किया गया । पत्रावली के अवलोकन

भू-प्रबन्ध अधिकारी

से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी माननीय सिविल न्यायाधीश(क0ख0) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नीमकाथाना के निर्णय दिनांक 10-4-1997 में अपीलांट एवं बक्साराम दोनो का दावा खारिज किया जाकर खातेदारी बक्साराम के वारिसान से हटाकर रेस्पोंडेन्ट महादाराम हरिजन के नाम दर्ज किये जाने के आदेश हुये जिसके आधार पर नामान्तरकरण सं0-715 दिनांक 19-11-97 से विवादित आराजी महादाराम के दर्ज कर जमाबन्दी सं0 2053 से 2056 में दर्ज किया गया है ।इस आराजी पर अपीलान्ट ने तो खातेदार दर्ज है और ऐसा भी कोई दस्तावेज नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि अपीलान्ट का इस आराजी पर लगातार कब्जा रहा हो। अदालत मातहत ने अपना निर्णय तनकी वाईज पारित किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं मानते हैं ।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31-3-2004 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 5.3.2018 को सुनाया गया ।

(भंवरलाल मेहरड़ा) 5/3/18
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर